तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज **करना बनाम भागीरथ वगैरह, मुकदमा संख्या :– 118/2014**	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीली में जारी हुए

15.04.2025

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि सरहद वांके सरनाउ में पुराना खेत खसरा संख्या 315 रकबा 6 बीघा 01 बिस्वा, खसरा संख्या 529 रकबा 160 बीघा 13 बिस्वा, खसरा संख्या 527 रकबा 09 बिस्वा, खसरा संख्या 528 रकबा 05 बिस्वा जुमले रकबा 167 बीघा 08 बिस्वा में मुझ प्रार्थी का 1/6 हिस्सा बनता है जिनके द्वितीय सेटलमेंट के नवसृजित खसरा नंबरान के खाता संख्या 180 के खसरा संख्या 1163, 1169, 1177 रकबा क्रमशः 0.44, 1.61, 1.48 हैक्टेयर जुमले रकबा 3.53 हैक्टेयर भूमि में मुझ प्रार्थी का 1/6 हिस्सा अनुसार रकबा 0.5883 हैक्टेयर भूमि में से रकबा 0.08 हैक्टेयर भूमि मुझ प्रार्थी ने अप्रार्थीया संख्या 6 भाणीदेवी को बेचान की है तथा शेष भूमि रकबा 0.5083 हैक्टेयर भूमि पर मैं प्रार्थी काश्त काबिज हूं जो जरिये बंटवाड़ा के अलग करवाने का हकदार हूं। इसी अनुसार खाता संख्या 185 की भूमि खसरा नंबर 1160, 1161, 1171, 1173, 1174, 1175 रकबा क्रमशः 0.01, 0.03, 0.05, 0.07, 0.01, 0.02 हैक्टेयर जुमले खसरा नंबरान 6 रकबा 0.19 हैटैयर भूमि में मुझ प्रार्थी का 1/6 हिस्सा अनुसार 0.03166 हैक्टेयर भूमि बंट में आती है जो मुझ प्रार्थी के कब्जे एवं काश्त में है। वांके सरहद सरनाउ के नवीन खाता संख्या 183 की भूमि खसरा संख्या 713 रकबा 1.26 हैक्टेयर में मुझ प्रार्थी का 1/6 हिस्सा अनुसार 0.21 हैक्टेयर भूमि बन्ट में आती है। खाता संख्या 1182 रकबा 1.75 हैक्टेयर जुमले रकबा 7.65 हैक्टेयर भूमि में 1/6 हिस्सा अनुसार 1.275 हैक्टेयर भूमि बंट में आती है। इसी अनुसार वांके सरहद सरनाउ के खाता संख्या 182 की भूमि खसरा संख्या 1144/1405 रकबा 0.40 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1164 रकबा 0.47 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1165 रकब 0.21 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1166 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1168 रकबा 1.71 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1170 रकबा 1.19 हैक्टैयर, खसरा संख्या 1172 रकबा 2.18 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1176 रकबा 3.61 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1178 रकबा 0.66 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1179 रकबा 3.90 हैक्टयर जुमले रकबा 14.46 हैक्टेयर भूमि में 1/6 हिस्सा अनुसार 2.41 हैक्टेयर भूमि बंट में आती है। मैं प्रार्थी उक्तानुसार काश्त काबिज हूं। इस प्रकार खाता संख्या 180 में रकबा 0.5083 हैक्टेयर, खाता संख्या 185 में से 0.0316 हैक्टेयर, खाता संख्या 183 में से 0.210 हैक्टेयर खाता संख्या 184 में से 1.27 एवं खाता संख्या 182 में से 2.41 हैक्टेयर 4.434 हैक्टेयर भूमि का मैं प्रार्थी हकदार हूं। राजस्व रेकर्ड में जरिये बंटवाड़ा के भूमि अलग करवाकर तरमीम करवान का हकदार हूं। वादग्रस्त आराजी मेरी पैतृक संपति है, जिससे प्रथम दृष्टया मामला मुझ प्रार्थी के पक्ष में है तथा भूमि के 1/6 हिस्से पर रकबा 4.434 हैक्अेयर पर कब्जा मुझ प्रार्थी का होने से सुविधा का संतुलन भी मुझ प्रार्थी के पक्ष में है। यदि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से नहीं रोका गया तो वे भूमि आगे से आगे बैचान कर देंगे तथा मुझ प्रार्थी को अपने बंट व हिस्से में आई जमीन से बेदखल कर देंगे, जिससे मुझ प्रार्थी को ऐसी अपूरणीय क्षति होगी जिसका आंकलन रूपयों पैसौ में किया जाना कतई मुमकिन नहीं होगा। इस प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों ही मूलभूत आधार मुझ प्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि ताफैसला मूल वाद इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्व अप्रार्थीगण सादीर फरमाई जावे कि ये प्रार्थना–पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी के बंट व हिस्से की रकबा 4.434 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी के शांतिपूर्ण उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी या नुक्शअमन न करें तथा न ही अन्य किसी करावें तथा न ही मूलवाद के निर्णय तक वादग्रस्त आराजी का [illegible] हस्तांतरण नही करे तथा मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाई रखावें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने उक्त तथ्यों का विरोध करते [illegible] निवेदन किया कि प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र एवं वाद में अपना 1/6 हिस्सा गलत इन्द्राज किया है। प्रार्थी का 1/6 हिस्सा ही बनता है तथा 1/6 हिस्से पर वादी का कोई कब्जा न होकर वादी का हिस्सा 1/8 बनता है तथा 1/8 हिस्से पर ही वादी का कब्जा काश्त है। जबकि मुझ प्रतिवादी जाला का 1/4 हिस्सा है तथा 1/4 हिस्सा की भूमि पर मुझ अप्रार्थी जाला का कब्जा काश्त है ऐसी सूरत में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में न होकर मुझ अप्रार्थी के पक्ष में है तथा जब प्रार्थी का 1/6 हिस्सा ही नही बनता है तो उसे अपूरणीय क्षति होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। ऐसी सूरत में यदि वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी के पक्ष में यदि किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो मुझ अप्रार्थी जाला को अपूरणीय क्षति होगी। इस प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.04.24 17:02:46 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट्रेक) सांचौर

आधारभूत स्तम्भ प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के विरूद्व व मुझ अप्रार्थी जाला के पक्ष में प्रमाणित होने से प्रार्थी किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार नहीं है। ऐसी सूरत में प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा सारहीन, बलहीन एवं मनगंढत तथ्यों पर आधारित होने से कतई पोषणीय नहीं होने से काबिल निरस्तनीय है। अतः प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का जवाब पेश कर श्रीमानजी से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन, बलहीन एवं आधारहीन होने से खारिज फरमावे तथा उक्त प्रकरण में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा भी गलत होने से खारिज फरमावें।

मैंने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण मूलवाद के निस्तारण तक मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) सांचौर, जिला–जालोर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रैक) सांचौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.04.24 17:02:46 IST
Reason: SelfAttested